राजस्व अपील प्राधिकारी

तारीख हुक्म	647 / 20[illegible] प्रहलाद / कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/9/17	आपि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित हुई आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 23/11/17 को पेश हो।	
	आपि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित हुई आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 22/2/18 को पेश हो।	
22/2/18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। आपी. उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के दावा संख्या 20/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 14/6/16 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत कर निवेदन किया की यह अपील 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे पारित आदेश के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। जिससे सम्बन्धित मूल वाद संख्या 20/2012 का अन्तिम निर्णय ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कर दिया गया है जिससे यह 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील सारहीन हो गई है। अत: खारिज फरमाई जावे। हमने प्रस्तुत नकल एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चुंकी इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल दावे का निस्तारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। अत: अब यह अपील सारहीन हो गयी है। अत: अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर